राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर (सहायता), दौसा

दिनांकः–19.02.2025

क्रमांकःसहायता / बाढ़ / मरम्मत / 2025 / 145

प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति

मानसून वर्ष 2024 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त आंगनबाडी केन्द्रो की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुर्नस्थापन हेतु इस कार्यालय से भिजवाये गये प्रस्ताव क्रमांक 2109 दिनांक 27.09.2024 के आधार पर आपदा प्रबन्धन विभाग की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक एफ.8(16)आ.प्र. एवं सहा. / बाढ़ / प्रस्ताव / 2024 / RAJKAJ Ref No 11994978 जयपुर, दिनांक 26.11.2024 के द्वारा निम्नानुसार स्वीकृति प्राप्त हुई हैं।

आंगनबाडी केन्द्रों हेतुः–

मानसून वर्ष 2024 में अत्यधिक वर्षा / बाढ़ के कारण से क्षतिग्रस्त आंगनबाडी केन्द्रों की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनः स्थापना हेतु उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग दौसा तह. व ब्लॉक सिकराय के 03 कार्यो हेतु राशि रूपयें 5.00 लाख, तह. व ब्लॉक लालसोट के 12 कार्यो हेतु राशि रूपयें 24.00 लाख, तह. व ब्लॉक लवाण के 04 कार्यो हेतु राशि रूपयें 6.50 लाख, तह. व ब्लॉक दौसा के 08 कार्यों हेतु राशि रूपयें 14.80 लाख रूपयें कुल 27 कार्यों की मरम्मत हेतु राशि रूपये 50.30 लाख (अक्षरे रूपये पचास लाख तीस हजार रुपये मात्र) की तात्कालिक मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से स्वीकृति प्राप्त हुई थी।

जिसके संबंध में उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, दौसा के पत्रांक 5452 दिनांक 12.02.2025 द्वारा सिकराय ब्लॉक के 2 कार्यो की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त (1 भवन मरम्मत योग्य नहीं) एवं पत्रांक 5061 दिनांक 02.01.2025 द्वारा लवाण ब्लॉक के 4 कार्यो की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त एवं पत्रांक 5131 दिनांक 10.01.2025 द्वारा लालसोट ब्लॉक के 10 कार्यो की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त (2 भवन मरम्मत योग्य नहीं) एवं पत्रांक 16755 दिनांक 23.12.2024 द्वारा दौसा ब्लॉक के 05 कार्यो की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त (2 भवन मरम्मत योग्य नहीं एवं 1 जनसहयोग से पूर्व मे पूर्ण) कुल 21 कार्यो के तकमीने बनवाये जाकर तकनीकी स्वीकृति प्रेषित की गई हैं। कार्यकारी एजेन्सी संबंधित विकास अधिकारी (पंचायत समिति) होंगे।

क्र.सं.	कार्य का नाम	ब्लॉक	तकनीकी स्वीकृति क्रमांक व दिनांक	राशि (लाखों में)
1	आंगनबाडी केन्द्र गनीपुर 1	सिकराय	145/28.01.2025	1.50
2	आंगनबाडी केन्द्र गिरधारीपुरा 2	सिकराय	146/28.1.2025	2.00
3	आंगनबाडी केन्द्र खानपुरा	लवाण	08/11.12.2024	1.18
4	आंगनबाडी केन्द्र खानवास	लवाण	07/11.12.2024	0.38
5	आंगनबाडी केन्द्र सिंगवाडा–प्रथम	लवाण	09/11.12.2024	1.46
6	आंगनबाडी केन्द्र गुगोलाव	लवाण	10/11.12.2024	2.00
7	आंगनबाडी केन्द्र मण्डावरी–2	लालसोट	08/01.01.2025	1.99
8	आंगनबाडी केन्द्र बिनोरी	लालसोट	613/19.1.2025	2.00

Signature valid
Digitally signed by Devendra Kumar
Designation: Collector & District Magistrate
Date: 2025.02.18 21:31:59 IST
Reason: Approved

9	आंगनबाडी केन्द्र सूरतपुरा–1	लालसोट	612/19.12.2024	2.00
10	आंगनबाडी केन्द्र निचूनिया	रामगढ पचवारा	22/18.12.2024	2.00
11	आंगनबाडी केन्द्र नेहडी जसवंतपुरा	रामगढ पचवारा	21/18.12.2024	2.00
12	आंगनबाडी केन्द्र गुढा सम्पतपुरा	रामगढ पचवारा	20/18.12.2024	2.00
13	आंगनबाडी केन्द्र बिलका	रामगढ पचवारा	17/18.12.2024	2.00
14	आंगनबाडी केन्द्र बिदरखा–1	रामगढ पचवारा	16/18.12.2024	2.00
15	आंगनबाडी केन्द्र डाबर कलां	रामगढ पचवारा	18/18.12.2024	2.00
16	आंगनबाडी केन्द्र राहूवास	रामगढ पचवारा	19/18.12.2024	2.00
17	आंगनबाडी केन्द्र नांगल बैरसी–1	दौसा	13/13.12.2024	1.50
18	आंगनबाडी केन्द्र नांगल बैरसी–2	दौसा	14/13.12.2024	1.30
19	आंगनबाडी केन्द्र नांगल चापा	दौसा	18/18.12.2024	0.80
20	आंगनबाडी केन्द्र नांगल खोहरा कला–1	दौसा	19/18.12.2024	1.50
21	आंगनबाडी केन्द्र सिण्डोली–2	दौसा	15/13.12.2024	2.00
	कुल 21 कार्यो हेतु			35.61

अतः उक्तानुसार मरम्मत कार्य करवाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है–

1. विभाग द्वारा राशि का निर्धारण एसडीआरएफ नॉर्म्स अनुसार किया है, इसलिए उन दरों से अधिक राशि का उपयोग नहीं किया जावें।
2. केवल तात्कालिक प्रकृति की मरम्मत एवं पुर्नरूत्थान के कार्य ही करवाये जावें, जो एसडीआरएफ नोर्म्स में दिये गये प्रावधान अनुसार हो। **कोई भी नवीन कार्य नहीं करवाया जावें। एसडीआरएफ नोर्म्स अनुसार नवं निर्माण कार्य अनुमत नहीं हैं।** कार्यकारी एजेन्सी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एसडीआरएफ में अनुमत कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा उनकी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी। बिल भुगतान हेतु इस बाबत संबंधित कार्यकारी एजेन्सी द्वारा प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाया जावेगा।
3. वे परिसंपत्तिया/आंगनबाडी केन्द्र भवन जो डिफेक्ट लाईब्लिटी अवधि के तहत आती हैं, उनकी मरम्मत एसडीआरएफ से देय नहीं हैं।
4. प्रस्ताव उपखण्ड़ स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित होने आवश्यक है।
5. कार्यकारी एजेन्सी द्वारा स्वीकृत कार्यो को शीघ्र प्रारम्भ करावें, ताकि कार्य प्रारम्भ किये जाने की दिनांक से 30 दिवस में पूर्ण करवाया जाना सुनिश्चित करें, जिससे तात्कालिक मरम्मत का उदेश्य पूर्ण हो सके।
6. कार्यकारी एजेन्सी उपखण्ड स्तरीय समिति के निरीक्षण उपरान्त यह रिपोर्ट भुगतान किये जाने से पूर्व आवश्यक प्राप्त कर लेवें कि कार्य एसडीआरएफ मापदण्ड एवं प्रावधान अनुसार ही कराया गया हैं।
7. कार्य पूर्ण होते ही बिल तैयार कर उपखण्ड स्तरीय समिति एवं जनप्रतिनिधि से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत करें, ताकि समय पर भुगतान करवाया जा सकें।

Signature valid
Digitally signed by Devendra Kumar
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2025.02.18 21:31:59 IST
Reason: Approved

भवनों के 21 कार्यो हेतु 35.61लाख (अक्षरे पैंतीस लाख इकसठ हजार रूपये मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई हैं। अतः भुगतान हेतु उक्त राशि का बजट आवंटन करने का श्रम करावें।

04. संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग जयपुर।

05. उप शासन सचिव, आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राज. जयपुर।

06. **उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग दौसा को प्रेषित कर लेख हैं कि उक्त कार्यों के संबंध में यह सुनिश्चित कर लिया जावें कि सभी कार्य एसडीआरएफ नोर्म्स अनुसार अनुमत हैं एवं उक्त सभी शर्तों के अधीन कार्य करवाया जावें।**

07. कार्यकारी एजेन्सी /विकास अधिकारी पंचायत समिति, लवाण, सिकराय, लालसोट, रामगढ पचवारा, दौसा को प्रेषित कर लेख हैं कि एसडीआरएफ नोर्म्स अनुसार अनुमत कार्यों के अलावा या नियमानुसार कार्य नहीं करवाये जाने की स्थिति में सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित कार्यकारी ऐजेन्सी की होगी जिसके लिए आप व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगें।

08. उपखण्ड़ अधिकारी, लवाण, सिकराय, रामगढ पचवारा, लालसोट, दौसा।

09. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।

10. अधीशाषी अभियंता, सा.नि.वि. खण्ड सिकराय, लालसोट, दौसा।

11. संबंधित कार्यालय अध्यक्ष।

12. रक्षित पत्रावली।

जिला कलक्टर
दौसा

Signature valid

Digitally signed by Devendra Kumar
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2025.02.18 21:31:59 IST
Reason: Approved